



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//ज्ञापन//

क्रमांक/ 622/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2022  
प्रति,

सुकमा, दिनांक 12.04/2023

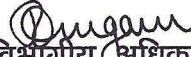
✓ प्रभारी अधिकारी  
(एन.आई.सी.)  
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत अधिसूचना को छ.ग.शासन, राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।  
संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/1269/रीडर/अ-82/2022-23 दिनांक 06.04.2023

--00--

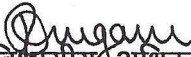
संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम टाहकवाड़ा से पटेलपारा मार्ग के कि.मी. 1/6 जीरम नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिए अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत कलेक्टर महोदय, जिला-सुकमा (छ.ग.) द्वारा जारी संदर्भित अधिसूचना को छ.ग.शासन, राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- अधिसूचना की प्रति।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)  
सुकमा, दिनांक 12.04/2022

पृ.क्रमांक/ 622/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2022  
प्रतिलिपी:-

1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
एवं भू-अर्जन अधिकारी  
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा

// अधिसूचना //

क्रमांक /1269/रीडर/अ-82/2022-23

दिनांक 06/04/2023

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का टहकवाड़ा से पटेलपारा मार्ग के किमी. 1/6 जीरम नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला - सुकमा
- 2- तहसील - तोंगपाल
- 3- ग्राम - टाहकवाड़ा
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 1.241 हे.

| क्र. | भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम | खसरा नंबर   | अर्जित रकबा (हे. में) |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1    | 2                                  | 3           | 4                     |
| 1    | हिरमा पिता देवा जाति माडिया        | 157         | 0.426                 |
| 2    | बलिराम पिता मुरहा जाति धुरवा       | 160         | 0.080                 |
| 3    | बोगा पिता देउ जाति धुरवा           | 165         | 0.450                 |
| 4    | कुत्ता पिता दियारू जाति धुरवा      | 167         | 0.045                 |
| 5    | कुत्तो पिता सोनाधर                 | 169         | 0.027                 |
| 6    | जयराम पिता लखमा जाति धुरवा         | 173         | 0.077                 |
| 7    | कोई पिता चैतु जाति धुरवा           | 208         | 0.079                 |
| 8    | माहंगू पिता बैहा जाति धुरवा        | 209/1       | 0.020                 |
| 9    | सुकमती पिता दशमू जाति धुरवा        | 172         | 0.037                 |
| योग- |                                    | कुल 09 रकबा | 1.241 हे.             |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) सुकमा में किया जा सकता है।

3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा  
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग